4 अर्हताएं

ELIGIBILITY

4.1 सी॰पी॰ए॰टी॰ परीक्षा–2017 में अभ्यर्थियों की अर्हताएं निम्नवत होंगीः–

4.2 उत्तर प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी का उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक होगा।

4.2.1 जिन अभ्यर्थियों ने हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएं उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो, उनके लिए उत्तर प्रदेश में निवास का प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा।

4.2.2 ऐसे छात्र जिन्होंने हाईस्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा में से एक परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो, को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ''सामान्य निवास प्रमाण–पत्र'' प्रवेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं अन्य सुसंगत अभिलेख जो प्रमाण–पत्र–1 (क) पर उपलब्ध है, को भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

4.2.3 ऐसे छात्र जिन्होंने हाई स्कूल तथा इण्टरमीडिएट दोनों परीक्षायें उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण न की हो, को प्रवेश के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ''मूल निवास प्रमाण–पत्र'' प्रस्तुत करना आवश्यक होगा एवं अन्य सुसंगत अभिलेख, जो प्रमाण–पत्र–1(ख) पर उपलब्ध है, को भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

4.2.4 निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथी कालेजों की सीटों पर प्रवेश हेतु उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी होना अनिवार्य नहीं होगा।

4.3 **आयु सीमा** : – प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु दिनांक 31.12.2017 को 17 वर्ष से कम न हो अर्थात उसका जन्म 31 दिसम्बर, 2000 के पूर्व हुआ हो।

4.3.1 शासनादेश संख्या–3620/96–आयुष–1–2017–345/2016 दिनाँक 15 सितम्बर, 2017 में यह निर्णय लिया गया कि अभ्यर्थी की अधिकतम् आयु सीमा को संशोधित किया जाता है कि 25 वर्ष से अधिक के अभ्यर्थी भी परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं।

4.4 शैक्षिक अर्हता

Educational Qualifications

4.4.1 इंटरमीडिएट विज्ञान (बायोलोजी ग्रुप/जैव प्रौद्योगिकी ग्रुप) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण सभी अभ्यर्थी सी॰पी॰ए॰टी॰–2017 परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह होंगे। प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए उन अभ्यर्थियों को अनुमति प्रदान कर दी जायेगी, जो अर्हकारी परीक्षा–2017 में सम्मिलित हो रहे हों परन्तु सी॰पी॰ए॰टी॰–2017 में सफल होने पर संबंधित पाठ्यक्रम में आवंटन तभी अनुमन्य किया जायेगा जब अभ्यर्थी अर्हकारी परीक्षा पास करने का प्रमाण–पत्र काउंसिलिंग बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत कर देगा। प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करने की दशा में आवंटन नहीं किया जायेगा।

4.4.2 शासनादेश संख्या–2991/71–2–12–55/2012 दिनांक 18.09.2012 में यह निर्णय लिया गया था कि ऐसे अभ्यर्थी/छात्र जो सी॰पी॰एम॰टी॰ परीक्षा के माध्यम से चयनित होकर किसी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेकर अध्ययनरत हो जाते हैं उन्हें आगामी सी॰पी॰एम॰टी॰ परीक्षा में बैठने/काउंसलिंग में भाग लेने की अनुमति प्रदान कर दी जाय तथा यदि उन्हें काउंसलिंग के उपरान्त वांछित विधा की सीट आवंटित हो जाती है, तो वह पूर्व आवंटित पाठ्यक्रम से त्याग पत्र देने के उपरान्त नवीन विधा के पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिये पात्र होगें। उक्त व्यवस्था सी॰पी॰ए॰टी॰ 2017 पर लागू रहेगी।

अस्वीकृति (DISCLAIMER) : परीक्षा निकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ आवेदन–पत्रों की प्राप्ति, प्रवेश–परीक्षा को सम्पादित कराना एवं वरीयता–सूची को तैयार करने हेतु उत्तरदायी है। परीक्षा के उपरान्त जैसे–काउन्सिलिंग, प्रवेश की प्रक्रिया, परीक्षार्थियों के विद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था के चयन सम्बन्धी प्रक्रिया हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ उत्तरदायी नहीं है। विवरण–पुस्तिका तथा शासनादेश में किसी विसंगति की स्थिति में शासनादेश ही मान्य होगा।

4.4.3 बी॰ए॰एम॰एस॰/बी॰यू॰एम॰एस॰ तथा बी॰एच॰एम॰एस॰ पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भारतीय केन्द्रीय चिकित्सा परिषद/केन्द्रीय होम्योपैथ परिषद के रेग्यूलेशन के अनुसार निर्धारित अर्हतायें लागू होंगी। इसके अनुसार किसी भारतीय विश्वविद्यालय/बोर्ड या अन्य मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा संचालित परीक्षा में अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। बी॰ए॰एम॰एस॰/बी॰यू॰एम॰एस॰ तथा बी॰एच॰एम॰एस॰ पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद/केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद द्वारा निर्धारित अर्हतायें मान्य होंगी जो निम्नवत् हैः–

4.4.3.1 सामान्य अभ्यर्थियों को अर्हता परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी में औसत 50 प्रतिशत अंक।

4.4.3.2 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 50 प्रतिशत के स्थान पर 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

4.5 सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में विज्ञान विषय सहित मध्यमा परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी सी॰पी॰ए॰टी॰–2017 में केवल बी0ए0एम0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे।

4.6 यूनानी कालेजों में बी॰यू॰एम॰एस॰ पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु सी॰पी॰ए॰टी॰–2017 में सम्मिलित होने के लिए इण्टरमीडिएट विज्ञान (बायोलोजी ग्रुप/जैव प्रौद्योगिकी ग्रुप) के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी को कक्षा–10 के समकक्ष उर्दू विषय की परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

अस्वीकृति (DISCLAIMER) : परीक्षा निकाय, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ आवेदन–पत्रों की प्राप्ति, प्रवेश–परीक्षा को सम्पादित कराना एवं वरीयता–सूची को तैयार करने हेतु उत्तरदायी है। परीक्षा के उपरान्त जैसे–काउन्सिलिंग, प्रवेश की प्रक्रिया, परीक्षार्थियों के विद्यालय/विश्वविद्यालय/संस्था के चयन सम्बन्धी प्रक्रिया हेतु लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ उत्तरदायी नहीं है। विवरण–पुस्तिका तथा शासनादेश में किसी विसंगति की स्थिति में शासनादेश ही मान्य होगा।